

होटल प्रबंध, खान-पान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण विज्ञान संस्थान (गोवा)
सोसायटी

के

नियम और विनियम

Rules and Regulation

of

Institute of Hotel Management, Catering Technology & Applied
Nutrition (Goa) Society

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा अनुवादित
Translated by Central Translation Bureau, New Delhi

भारतीय गैर न्यायिक stamp picture

GOA

03AA 523694

Sr. No. 8054

Place of Vendor Panjim Date 14-11-11

Value of Stamp Rs.20/-

Society Stamp

Name of the Purchaser – Institute of Hotel Mnagement

Place of Residence : Alto-Porvorim

Purpose:

Sign. of Purchaser

Sign of Vendor

Stamp and Signature of Gajanan G. S. Dhumatkar

Notary Stamp

CERTIFIED COPY

It is hereby certified that the file registered under No. 175/Goa/1967 existing in the records of this office relating to the registration of the Society "INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CATERING TECHNOLOGY & APPLIED NUTRITION (GOA) SOCIETY", contains RULES AND REGULATIONS which is as follows:-

भारतीय गैर न्यायिक स्टांप चित्र

गोवा

03एए 523694

क्रम सं. 8054

विक्रय का स्थान – पंजिम

तारीख 14-11-11

स्टांप का मूल्य – 20/-

सोसाइटी मुहर

खरीदार का नाम – इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटेरिंग टेक्नोलॉजी एंड ए एन

आवास – आल्टो पोरबोरिम

उद्देश्य –

विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता के हस्ताक्षर

गजानन जी. एस. धुमटकर की हस्ताक्षरयुक्त मुहर

नोटरी की मुहर

प्रमाणित प्रति

इसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस कार्यालय के अभिलेखों में मौजूद सं. 175/गोवा/1967 के तहत पंजीकृत फ़ाइल “इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटेरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन (गोवा) सोसाइटी,” के पंजीकरण से संबन्धित है, इसमें नियम और विनियम शामिल हैं जो निम्नानुसार हैं :-

RULES & REGULATIONS
OF
FOOD CRAFT INSTITUTE (GOA) SOCIETY

- Definition:
1. In these rules :-
 - (a) "Society "means the Food Craft Institute (Goa) Society.
 - (b) "Centre Institute means the Food Craft Institute, Porvorim.
 - (c) "Central Government" means the Government of India in the Ministry of Food & Agriculture (Department of Food) or if there be no such department, the Department/ Ministry which is for the time being, in charge of the functions now performed by the Department of Food, whether in addition to other functions or otherwise.
 - (d) "State Government" means the Government of Goa, Daman & Diu.
 - (e) "Chairman "means except where the context otherwise requires, the Chairman of the Society.
 - (f) "Principal" means the Principal of the Food Craft Institute, Porvorim.
- REGISTERED OFFICE
2. The office of the Society shall be situated at Porvorim, or any other city or town in the Union Territory of Goa, Daman & Diu, where to it may be pursuant to a resolution passed in that belief by the Governing body of the Society.
- MEMBERSHIP
3. (i) The Society for the time being shall consist of the following members :-
 - (a) A chairman nominated by the Central Government.
 - (b) Three representatives of the Government of Goa, Daman & Diu, one being the Director of Technical Education, Government of Goa, Daman & Diu, ex officio or if there be no such person the officer who is for the time being the administrative head of the department which is in charge of technical education whether in addition to other functions or otherwise.
 - (c) Four representative of the Central Government.
 - (d) An expert on catering technology to be nominated by the Central Government.
 - (e) A representative of the Hotel and Restaurant Association of region to be nominated by the Government of Goa, Daman & Diu.
 - (f) The Principal ex officio.
 - (ii) The Board of Governors may at any time coopt any other person as a member of the Society and the member so coopted shall have all the rights and privileges of every other member of the Society.

फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट (गोवा) सोसाइटी

के

नियम और विनियम

परिभाषा :

1. इन नियमों में :-
 - (क) "सोसाइटी" का अर्थ फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट (गोवा) सोसाइटी है।
 - (ख) "केंद्रीय संस्थान" का अर्थ है फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट (पोर्वोरिम)
 - (ग) "केंद्र सरकार" का अर्थ है खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) में भारत सरकार अथवा यदि ऐसा कोई विभाग नहीं है तो, जो विभाग/मंत्रालय कुछ समय के लिए अब खाद्य विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों का प्रभारी है, चाहे वह उनके अन्य कार्यों के अलावा हैं अथवा अन्यथा।
 - (घ) "राज्य सरकार" का अर्थ गोवा, दमन और दीव सरकार है।
 - (ङ) "अध्यक्ष" का अर्थ है सोसाइटी का अध्यक्ष, जब तक संदर्भ के अनुसार अन्यथा अभिप्रेत न हो।
 - (च) "प्रिन्सिपल" का अर्थ है फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, पोर्वोरिम का प्रिन्सिपल।

पंजीकृत कार्यालय

2. सोसाइटी का कार्यालय, पोर्वोरिम या गोवा, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी ऐसे दूसरे शहर में स्थित होगा, जहां यह सोसाइटी के शासी निकाय द्वारा उस निमित्त पारित प्रस्ताव के अनुसार होगा।

सदस्यता

3. (i) इस समय सोसाइटी में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-
 - (क) केंद्र सरकार द्वारा नामित एक अध्यक्ष।
 - (ख) गोवा, दमन और दीव की सरकार के तीन प्रतिनिधि, जिनमें से एक गोवा, दमन और दीव सरकार के तकनीकी शिक्षा के निदेशक है, पदेन अथवा यदि वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति न हो, तो जो अधिकारी तत्समय विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होने के कारण तकनीकी शिक्षा का प्रभारी हो, चाहे अपने अन्य कार्यों के साथ-साथ अथवा अन्यथा।
 - (ग) केंद्र सरकार के चार प्रतिनिधि।
 - (घ) केंद्र सरकार द्वारा नामित कैटेरींग प्रौद्योगिकी का एक विशेषज्ञ।
 - (ङ) गोवा, दमन और दीव सरकार द्वारा नामित उस क्षेत्र के होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि।
 - (च) प्रिन्सिपल, पदेन।
- (ii) बोर्ड ऑफ गवर्नर्स किसी भी समय पर किसी व्यक्ति को सोसाइटी का सदस्य चुन सकते हैं और इस प्रकार चुने गए सदस्य को सोसाइटी के अन्य सदस्यों के समान सभी अधिकार और विशेषाधिकार होंगे।

4. The Society shall keep a roll of members and every member of the Society shall sign the roll and state therein his name, designation, occupation and address. No person shall be deemed to be a member or be entitled to exercise any of the rights and privileges of a member unless he has signed the roll as aforesaid.
5. If a member of the Society shall change his address, he shall notify his new address to the Principal, but if he fails to notify his new address, the address in the roll of members shall be deemed to be his address.
6. Should any member of the Society (other than the Chairman, the expert on catering technology nominated by the Central Government and the Principal) be prevented from attending a meeting of the Society, he shall be at liberty to appoint and authorize a representative to take his place at that meeting of the Society and such representatives shall have all the rights and privileges of a member of the Society including the right to vote for that meeting.

TENURE OF A MEMBER

7. (i) When a person becomes a member of the Society by reasons of the office he holds his membership shall terminate when he ceases to hold that office.
- (ii) A member of the Society representing the Central Government or the Government of Goa, Daman and Diu, shall continue to be a member during the pleasure of the Central Government or the State Government as the case may be
- (iii) The member of the Society representing the Hotel & Restaurant Association of Goa region shall cease to be a member of the Society as soon as he is removed from the membership of the Society by the Government of Goa. Upon a request to that effect being made by the said Association.
- (iv) Every member (including the Chairman) not covered by sub rules (i) (ii) of this rule shall cease to be a member on the expiry of three years from the date of his appointment or nomination but shall be eligible for re-appointment or re nomination as the case may be.

CESSATION OF MEMBERSHIP

8. A member of the Society shall cease to be a member of the Society, if he resigns, becomes of unsound mind be adjudged or adjudicated an insolvent or be convicted of a criminal offence involving moral turpitude, or if he is removed from the membership of the Society, or if he (other than the Principal) accepts a full time appointment in the Centre, or does not attend three consecutive meetings of the Society without obtaining leave of absence from the Chairman.

RESIGNATION

9. (i) The Chairman may resign his office by a letter addressed to the Central Government and his resignation shall take effect from the date it is accepted by the Central Government.
- (ii) A member may resign office by a letter addressed to the Chairman and such resignation shall take effect from the date it is accepted by the Chairman.

4. सोसाइटी सदस्यों की एक नामावली (रोल) रखेगी और सोसाइटी का हर सदस्य उस नामावली पर राज्य हस्ताक्षर करेगा और उसमें अपना नाम, पदनाम, व्यवसाय और पता लिखेगा। किसी भी व्यक्ति को तब तक सदस्य नहीं समझा जाएगा और आ ही वह सदस्य के अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रयोग कर सकेगा जा तक कि उसने उपरोक्त रोल पर हस्ताक्षर न किए हों।
 5. यदि सोसाइटी के किसी सदस्य का पता बदलता है तो वह प्रधान को अपना नया पता सूचित करेगा और यदि वह अपना नया पता सूचित नहीं करता है तो उसका पता वही समझा जाएगा जो सदस्यों कि नामावली में दिया गया है।
 6. यदि सोसाइटी का कोई भी सदस्य (अध्यक्ष, केंद्र सरकार द्वारा नामित कैटेरींग टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ और प्रधानाचार्य के अलावा अन्य) सोसाइटी की बैठक में भाग नहीं ले पाता है, तो वह सोसाइटी की बैठक में अपनी जगह भाग लेने के लिए किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसे प्रतिनिधि को उस बैठक में मतदान करने सहित सभी अधिकार और विशेषाधिकार होंगे।
- सदस्यता की अवधि
7. (i) जब कोई व्यक्ति, अपने कार्यालय पद के कारण से सोसाइटी का सदस्य बन जाता है, तो उसके पद छोड़ देने के बाद उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
 - (ii) केंद्र सरकार या गोवा, दमन और दीव की सरकार की प्रतिनिधित्व करने वाला सोसाइटी का सदस्य तब तक सदस्य होगा, जब तक केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, ऐसा चाहें।
 - (iii) गोवा क्षेत्र के होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले सोसाइटी के सदस्य को गोवा सरकार द्वारा सोसाइटी की सदस्यता से निकाल दिए जाते ही उक्त एसोसिएशन के इस आशय के अनुरोध मात्र पर उसकी सोसाइटी की सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
 - (iv) प्रत्येक सदस्य (अध्यक्ष सहित) जिस पर इस नियम के उप नियम (i), (ii) लागू नहीं हैं, अपनी नियुक्ति या नामांकन की तिथि से तीन वर्ष की समाप्ति पर सदस्य नहीं रहेगा, लेकिन वह फिर से नियुक्ति या फिर से नामांकन के लिए पात्र होगा।
- सदस्यता की समाप्ति
8. यदि सोसाइटी का कोई सदस्य इस्तीफा दे देता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ करार किया जाता है, दिवालिया घोषित किया जाता है, या नैतिक भ्रष्टता से जुड़े आपराधिक मामले को दोषी पाया जाता है या उसे सोसाइटी की सदस्यता से निकाल दिया जाता है, अथवा वह (प्रधान के अलावा अन्य) केंद्र में एक पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करता है, अथवा अध्यक्ष से छुट्टी मांगे बिना लगातार सोसाइटी की तीन बैठकों में भाग नहीं लेता है तो वह इसके बाद सोसाइटी का सदस्य नहीं रहेगा।
- त्यागपत्र
9. (i) अध्यक्ष केंद्र सरकार को एक पत्र लिखकर अपने कार्यालय से त्यागपत्र दे सकते हैं और यह त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा, जब उसे केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया जाता है।
 - (ii) सदस्य सभापति को संबोधित करते हुए पत्र लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं और यह त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा, जब उसे अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया जाता है।

- VACANCIES
10. Any vacancy in the Society shall be filled by either appointment or nomination by the respective authority entitled to make such appointment or nomination and the term of office of a member appointed or nominated to fill a casual vacancy shall continue for the remainder of the term of the member in whose place he has been appointed or nominated.
11. The Society shall function, notwithstanding any vacancy therein and notwithstanding any defect in the appointment or nomination of any of its members and no act or proceeding of the Society shall be invalid merely by reasons of the existence of any vacancy therein or of any defect in the appointment or nomination of any of its members.
- MEETING OF SOCIETY
12. (i) The Society shall meet whenever the Chairman thinks fit, provided that the chairman shall call a meeting of the Society upon a written requisition of not less than four members, specifying the object of the meeting proposed to be called.
- (ii) For every meeting of the Society fifteen days' notice shall be given provided that the Chairman may for reasons to be recorded, call a special meeting on such short notice as he may deem fit. The accidental omissions to give notice to or the non-receipt of notice of any meeting by one or more members shall not invalidate the proceeding at the meeting.
- (iii) Five members of the Society including any representative authorized under Rule 6 shall constitute a quorum at any meeting.
- (iv) In case of difference of opinion amongst the members the opinion of the majority shall prevail.
- (v) Each member of the Society, including the Chairman, shall have one vote and if there shall be an equality of votes on any question to be determined by the Society the Chairman or member presiding shall have an addition or casting vote.
- (vi) Every meeting of the Society shall be presided over by the Chairman and in his absence by a member chosen by the members present to preside on the occasion.
- BOARD OF GOVERNORS COMPOSITION POWERS
13. The general superintendence, direction and control and management of the affairs of the Society and its income and property shall be treated in the Governing Body of the Society, hereinafter called the Board of Governors or the Board.
14. Every member of the Society shall ipso-facto be a member of the Board.
15. Should any member of the Board other than the Chairman the expert on catering technology nominated by the Central Government and the Principal be prevented from attending a meeting of the Board he shall be at liberty to appoint and authorize a representative to take his place at that meeting of the Board and such representatives shall have all the rights and privileges of a member of the Board including the right to vote at that meeting.

रिक्तियाँ

10. सोसाइटी में कोई भी रिक्ति नियुक्ति या नामांकन द्वारा भरी जाएगी, जो नियुक्ति या नामांकन करने के लिए हकदार संबन्धित प्राधिकारी द्वारा की जाएगी और नियुक्ति किए गए सदस्य की पदावधि उस अधिकारी के शेष कार्यकाल के लिए जारी रहेगी, जिसके स्थान पर वह नियुक्त या मनोनीत किया गया है।
11. किसी भी रिक्ति और सोसाइटी के सदस्यों में से किसी की नियुक्ति या नामांकन में किसी दोष के रहते हुए भी सोसाइटी कार्य करती रहेगी और सोसाइटी का कोई भी अधिनियम या कार्यवाही सिर्फ इसलिए अमान्य नहीं होगी कि उसमें कोई रिक्ति है अथवा सदस्यों में से किसी की नियुक्ति या नामांकन दोषपूर्ण है।

सोसाइटी की बैठक

12. (i) अध्यक्ष जब भी ठीक समझे सोसाइटी की बैठक बुला सकता है, बशर्ते कि अध्यक्ष कम से कम चार सदस्यों की लिखित मांग पर बैठक बुलाएँ और प्रस्तावित बैठक की विषयवस्तु को निर्दिष्ट करें।
- (ii) सोसाइटी की हर बैठक के लिए पंद्रह दिन की सूचना दी जाएगी बशर्ते कि अध्यक्ष लिखित में दर्ज ऐसे कारणों से, जिन्हे वह उचित समझे, अल्प सूचना पर एक विशेष बैठक बुला सकता है। किसी एक या एक से अधिक सदस्यों को नोटिस देने में आकस्मिक चूक होने पर या किसी एक या अधिक सदस्यों को बैठक की सूचना न मिलने पर बैठक की कार्यवाही को रद्द नहीं किया जाएगा।
- (iii) किसी भी बैठक में पाँच सदस्यों और नियम 6 के तहत अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिती से सोसाइटी को कोरम पूरा माना जाएगा।
- (iv) सदस्यों के बीच विचारों के मतभेद के मामले में बहुमत की राय मान्य होगी।
- (v) अध्यक्ष सहित सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि किसी ऐसे प्रश्न पर बराबर मत प्राप्त होते हैं, जिसे अध्यक्ष या पीठासीन सदस्य द्वारा निर्धारित किया जाना हो, तो उनका एक अतिरिक्त या निर्णायक मत होगा।
- (vi) सोसाइटी की हर बैठक अध्यक्ष की अध्यक्षता में की जाएगी और उसकी अनुपस्थिती में इस अवसर पर अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने एक सदस्य की अध्यक्षता में की जाएगी।

बोर्ड ऑफ गवर्नर्स
संघटन शक्तियाँ

13. सोसाइटी के मामलों से संबन्धित सोसाइटी का सामान्य अधीक्षण, निर्देश और नियंत्रण और उसकी आय और संपत्ति का प्रबंधन उसके शासी निकाय में निहित होगा, जिसे इसके बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स या बोर्ड बुलाया जाएगा।
14. सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य स्वतः ही बोर्ड का सदस्य हो जाएगा।
15. यदि अध्यक्ष के अतिरिक्त बोर्ड का कोई अन्य सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नामित कैटरिंग टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ और प्रिन्सिपल बोर्ड की बैठक में भाग नहीं ले पता है, तो वह अपने स्थान पर बोर्ड की बैठक में उनकी जगह लेने के लिए किसी प्रतिनिधि को नियुक्त और अधिकृत करने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसे प्रतिनिधि को सभी अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, जिसमें उस बैठक में मतदान का अधिकार भी शामिल है।

16. The Board shall function, notwithstanding any vacancy therein and notwithstanding any defect in the appointment or nomination of any of the members and no act or proceeding of the Board shall be invalid merely by reasons of the existence of any vacancy therein or of any defect in the appointment or nomination of any of its members.
- 17 (i) The Board may make and frame and from time to time repeal or alter bye laws as to the management of the Society and the affairs thereof and as to the management of the Institute and the other institutions of the Society and as to the duties of any officers, employees or servants of the Society and as to the conduct of the business of the Board or any committee or sub committee appointed by the Board or as to any of the matters or things within the powers or under the control of the Board provided that the same shall not be inconsistent with the memorandum of Association or the Rules and Regulations of Society. Without in any manner derogating from the generality of the foregoing powers, the board may make, frame and from time to time alter and repeal bye laws as to all or any of the following matters namely:
- (a) The formation of Departments of teaching.
 - (b) The fees to be charged for courses of study in the Institute and for admission to the examination for conferment of the awards.
 - (c) The Institution of fellowships, scholarships, exhibitions loans prizes and medals.
 - (d) The classification and method of appointment and the determination of the terms and conditions of teachers and other staff of the Institute.
 - (e) The constitution of pension and provident funds for the benefit of the officers, teachers and other staff of the Institute.
 - (f) The establishment and maintenance of halls and hostel.
 - (g) The conditions of residence of students of the Institute and the levying of fees for residence in the halls and hostels and of other charges and,
 - (h) Other matters of relevance and importance in the administration of educational institutions.
- (ii) The Board may by resolution, appoint such committee or subcommittee for such purposes and with such powers as the Board may think fit. The board may co-opt such person to these committees as it considers suitable.

16. किसी भी रिक्ति और बोर्ड के सदस्यों में से किसी की नियुक्ति या नामांकन में किसी दोष के रहते हुए भी बोर्ड कार्य करता रहेगा और बोर्ड का कोई भी अधिनियम या कार्यवाही सिर्फ इसलिए अमान्य नहीं होगी कि उसमें कोई रिक्ति है अथवा सदस्यों में से किसी की नियुक्ति या नामांकन दोषपूर्ण है।
17. बोर्ड समय-समय पर सोसाइटी और उसके मामलों और संस्थान तथा सोसाइटी की अन्य संस्थानों के प्रबंधन, सोसाइटी के किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या सेवकों के कर्तव्यों और बोर्ड तथा बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी भी समिति या उप समिति के कारोबार के संचालन अथवा बोर्ड की शक्तियों के भीतर या उसके नियंत्रणाधीन मामलों या चीजों के लिए उपनियम बना और तैयार कर सकता है या उन्हें निरस्त या उनमें परिवर्तन कर सकता है, बशर्ते कि या संस्था के संगम ज्ञापन या नियमों और विनियमों के साथ संगत नहीं हों। यह किसी भी प्रकार से पूर्वगामी शक्तियों का अवमूल्यन नहीं करेगा। बोर्ड समय-समय पर निम्नलिखित मामलों से संबन्धित उपनियम बना और तैयार कर सकता है या उन्हें निरस्त या उनमें परिवर्तन कर सकता है-

- (क) शिक्षण विभागों के गठन।
- (ख) संस्थान में पाठ्यक्रम के लिय लिया जाने वाला अध्ययन शुल्क और अवार्ड के लिय परीक्षा का शुल्क।
- (ग) फेलौशिप, छात्रवृत्ति, प्रदर्शनियों, ऋण, पुरस्कार और पदक प्रदान करना।
- (घ) संस्थान के शिक्षकों और अन्य स्टाफ की नियुक्ति का वर्गीकरण और बरती पद्धति तथा नियम और शर्तों का निर्धारण।
- (ङ) संस्थान के अधिकारियों, उपाध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के हित के लिए पेंशन और भविष्य निधि का गठन।
- (च) हॉल और छात्रावासों की स्थापना और रखरखाव।
- (छ) संस्थान के छात्रों के निवास की स्थिति और हॉल और हॉस्टल में निवास के लिए फीस और अन्य प्रभार।
- (ज) शैक्षिक संस्थानों के प्रशासन में प्रासंगिकता और महत्व के अन्य मामले।
- (ii) बोर्ड संकल्प द्वारा इस तरह के प्रयोजन के लिए ऐसी शक्तियों के साथ इस तरह की समिति या उपसमिति नियुक्त कर सकता है, जिसे वह उपयुक्त समझे। बोर्ड इन समितियों को ऐसे व्यक्ति के सह-विकल्प के रूप में चुन सकता है, जिसे वह उपयुक्त समझे।

- (iii) The board may, by resolution, delegate to committees, sub committees or the Chairman such of its powers for the conduct of its business as it may deem fit, subject to the conditions that action taken by any committee or sub-committee or the Chairman under the powers delegated to them by this rule shall be reported for confirmation at the next meeting of the Board.
 - (iv) The Board may pass such resolution or resolutions as it may deem fit on the annual report, the annual accounts and the financial estimates.
18. (i) Ordinarily, the Board shall meet once in every six months and fifteen days' notice shall be given of such meeting and a copy of the proceedings of such meeting shall be furnished to the Central and Government of Goa, Daman & Diu, as soon as possible after the meeting PROVIDED that the Chairman may, whenever he thinks fit, and shall on the written requisition of not less than two members call a special meeting.
- (ii) Five members of the Board, including any representative authorized under the Rules 15 shall constitute a quorum at any meeting of the Board.
 - (iii) In case of difference of opinion amongst the members, the opinion of the majority shall prevail.
 - (iv) Each member of the Board, including the Chairman, shall have one vote and if there shall be an equality of vote on any question to be determined by the Board, the Chairman or member presiding shall have an additional casting vote.
 - (v) Every meeting of the Board shall be presided over by the Chairman and in his absence, by a member chosen by the members present to preside on the occasion.
 - (vi) Any business which it may be necessary for the Board to perform, except such as may be placed before the meeting, may be carried out by circulation among all its members in India and any resolution so circulated and approved by a majority of the members signing shall be as effectual and binding as if such resolution had been passed at a meeting of the Board duly called and held PROVIDED that at least five members of the Board have recorded their views on the resolution.

EXECUTIVE
COMMITTEE
COMPOSITION
POWERS

- 19 (i) The following members of the Board shall constitute an Executive Committee.
- (a) The Director of Technical Education, Goa or if there be no such person, the officer who is for the time being the administrative head of the department which is in charge of technical education, whether in addition to other functions or otherwise.

- (iii) बोर्ड संकल्प द्वारा इस तरह के प्रयोजन के लिए ऐसी शक्तियों के साथ इस तरह की समिति या उपसमिति अथवा अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे, बशर्ते कि किसी भी समिति या उप-समिति अथवा अध्यक्ष द्वारा उन्हें सौंपी गई शक्तियों के तहत की गई कार्रवाई को इस नियम से बोर्ड की अगली बैठक में पुष्टि करने के लिए सूचित किया जाएगा।
 - (iv) बोर्ड वार्षिक रिपोर्ट पर, वार्षिक रिपोर्ट खातों और वित्तीय अनुमान पर इस तरह के संकल्प पारित कर सकता है, जो वह उचित समझे।
18. (i) आमतौर पर बोर्ड की बैठक हर छह महीने में एक बार होगी और इस तरह की बैठक के लिए पंद्रह दिनों का नोटिस दिया जाएगा और बैठक के बाद यथा शीघ्र इस तरह की बैठक की कार्यवाही की एक प्रति केंद्र सरकार को और एक प्रति गोवा, दमन और दीव सरकार को प्रस्तुत की जाएगी, बशर्ते कि जब भी अध्यक्ष ठीक समझे कम से कम दो सदस्यों की लिखित मांग पर एक विशेष बैठक बुला सकता है।
- (ii) किसी भी बैठक में बोर्ड के पाँच सदस्यों और नियम 6 के तहत किसी भी अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति से बोर्ड का कोरम पूरा माना जाएगा।
 - (iii) सदस्यों के बीच विचारों के मतभेद के मामले में बहुमत की राय मान्य होगी।
 - (iv) अध्यक्ष सहित बोर्ड के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि किसी ऐसे प्रश्न पर बराबर मत प्राप्त होते हैं, जिसे अध्यक्ष या पीठाधीन सदस्य द्वारा निर्धारित किया जाना हो तो उनका एक अतिरिक्त या निर्णायक मत होगा।
 - (v) बोर्ड की हर बैठक अध्यक्ष की अध्यक्षता में की जाएगी और उसकी अनुपस्थिति में इस अवसर पर अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने किसी एक सदस्य की अध्यक्षता में की जाएगी।
 - (vi) कोई कारबार, जिसे बोर्ड द्वारा निष्पादित किया जाना आवश्यक है उस छोड़कर, जिसे बोर्ड की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, भारत में इसके सभी सदस्यों के बीच परिचालित करके निष्पादित किया जाएगा और हस्ताक्षर करने वाले अधिकांश सदस्यों के बीच इस प्रकार परिचालित और उनके द्वारा अनुमोदित किया गया संकल्प इस प्रकार प्रभावी और बाध्यकर होगा मानो यह संकल्प विधिवत बुलाई गई और आयोजित की गई बोर्ड की बैठक में पारित किया गया हो बशर्ते कि बोर्ड के कम से कम सदस्यों ने संकल्प पर अपने विचार दर्ज किए हों।

कार्यकारिणी समिति
का गठन और शक्तियाँ

- 19 (i) कार्यकारिणी बोर्ड के निम्नलिखित सदस्य होंगे।
- (क) तकनीकी शिक्षा निदेशक, गोवा अथवा यदि कोई ऐसा व्यक्ति न हो तो, अधिकारी जो तत्समय विभाग का प्रशासनिक प्रमुख हो जो तकनीकी शिक्षा का प्रभारी हो, चाहे अन्य कार्यों के साथ अथवा अन्यथा उसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया हो।

- (b) Two of the representative of the Central Government to be specified by the Central Government.
 - (c) The expert nominated by the Central Government to the Board and,
 - (d) The Principal.
 - (ii) The Director of Technical Education, Goa or if there be no such person the officer who is for the time being the administrative head of the department which is in charge of technical education whether in addition to other functions or otherwise shall be the convener of the Executive Committee.
 - (iii) Should any of the specified representatives of the Central Government be prevented from attending a meeting of the Executive Committee he shall be at liberty to appoint and authorize an alternate for that meeting and such an alternate shall have all the rights and privileges of a member of the Executive Committee including the right to vote at that meeting.
20. It shall be the duty of the Executive Committee to see that the decisions taken by the Board are implemented.
21. The Executive Committee shall exercise all or any of the powers and functions of the Board, subject to the Central Superintendence, direction and control of the Board.
22. The Executive Committee shall function, notwithstanding any vacancy therein and notwithstanding any defect in the appointment or nomination of any of its members and no act or proceedings of the Executive Committee shall be invalid merely by reasons of the existence of any such vacancy therein or of any defect in the appointment or nomination of any of its members.
23. (i) The executive Committee shall meet as often as necessary and at least once in three months and 10 days' notice shall be given of each such meeting, and a copy of the proceedings of such meeting, shall be furnished to the Board of Governors and to the Central and State Government as soon as possible after the meeting PROVIDED the convener may whenever he thinks fit and shall on the written requisition of not less than two members call a special meeting.
- (ii) Three members of the Executive Committee present in person shall constitute a quorum at any meeting of the Committee.
- (iii) In case of difference of opinion amongst the members, the opinion of the majority shall prevail.
- (iv) Each member of the Executive Committee, including the Chairman who will be elected at such meeting of the Committee, shall have one vote and if there shall be an equality of votes on any question to be determined by the Committee, the Chairman shall have an additional or casting vote.

- (ख) केंद्र सरकार के दो प्रतिनिधि जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
- (ग) केंद्र सरकार द्वारा बोर्ड के नामित किया गया विशेषज्ञ और
- (घ) प्रधान (प्रिन्सिपल)
- (ii) तकनीकी शिक्षा निदेशक, गोवा अथवा यदि कोई ऐसा व्यक्ति न हो तो अधिकारी जो तत्समय विभाग का प्रशासनिक प्रमुख हो जो तकनीकी शिक्षा का प्रभारी हो, चाहे अन्य कार्यों के साथ अथवा अन्यथा उसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया हो कार्यकारिणी का संयोजक होगा।
- (iii) यदि केंद्र सरकार के किसी विशिष्ट प्रतिनिधि को कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने से रोका जाता है तो क्या उसे उस बैठक के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त और प्रथिकृत करने के हक होगा तथा कार्यकारिणी के सदस्य की भांति उसे सभी अधिकार और विशेषाधिकार प्रपट होने तथा उसे उस बैठक में मत का अधिकार भी प्राप्त होगा।
20. यह देखना कार्यकारिणी का कर्तव्य होगा कि बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय क्रियान्वित हो।
21. कार्यकारिणी केंद्रीय अधीक्षण, निदेशक और बोर्ड के नियंत्रण के आधीन बोर्ड की सभी अथवा किन्ही शक्तियों और कार्यों का निष्पादन करेगी।
22. कार्यकारिणी उसमें किसी शक्ति के बावजूद और नियुक्ति में किसी त्रुटि के बावजूद अथवा अपने किसी सदस्य से नामित होने के बावजूद कार्य करेगी और कार्यकारिणी समिति की कोई कार्रवाई अथवा कार्यवाही, केवल उसमें ऐसी किसी रिक्ति के होने से अथवा नियुक्ति में किसी त्रुटि से अथवा इसके किसी सदस्य के नामांकन से अवैद नहीं होगी।
23. (i) कार्यकारिणी प्रायः आवश्यकता होने पर बैठक करेगी और तीन महीने में कम से कम एक बार बैठक करेगी तथा ऐसी प्रत्येक बैठक के लिए 10 दिन का नोटिस दिया जाएगा और इस बैठक की कार्यवाही की एक प्रति बैठक के बाद यथा संभव शीघ्र बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और केंद्र तथा राज्य सरकार को भेजी जाएगी। परंतु जब कभी संयोजक उचित समझे और कम से कम दो सदस्यों द्वारा लिखित रूप में मांग की जाए तो वह विशेष बैठक बुलाएगा।
- (ii) कार्यकारिणी के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित तीन समिति की किसी बैठक में कोरम के लिए सदस्य होंगे।
- (iii) सदस्यों के मतभेद की स्थिति में, बहुमत की राय स्वीकार की जाएगी।
- (iv) कार्यकारिणी का प्रत्येक सदस्य तथा अध्यक्ष, जो समिति के प्रत्येक बैठक में चुना जाएगा, का एक वोट होगा और यदि समिति द्वारा तय किए जाने वाले किसी मामले पर वोट समान होते हैं तो अध्यक्ष का वोट अतिरिक्त या निर्णायक होगा।

- (v) Any business which it may be necessary for the Executive Committee to perform, except such as may be placed before the meetings, may be carried out by circulation among all its members in India, and any resolutions so circulated and approved by the majority of the members signing shall be as effectual and binding as if such resolution had been passed in a meeting of the Committee duly called and held, provided that at least three members of the Committee have recorded their views on the resolution.
- PRINCIPAL 24. (i) There shall be a Principal of the Institute to be appointed by the Board in accordance with such qualifications and experience and methods of recruitments and under such terms and conditions of service, as the Board determine.
- (ii) The Principal shall be the Principal academic and executive officer of the Institute and shall be responsible for the proper administration of the Institute and for the imparting of instruction and the maintenance of discipline. All other staff of the Institute shall be subordinate to the Principal.
- (iii) The Principal shall be the custodian of records the funds of the Institute and such other property of the Institute as the Board may commit to his charges.
- (iv) The Principal shall act as Secretary to the Society, the Board the Executive Committee and other committee of the Society or the Board.
- (v) The Principal shall have such other powers and shall perform such other duties as may be delegated to him by the Board.
- (vi) The Principal shall have the power to redelegate his power to any of his subordinates with the approval of the Board.
- (vii) In the event of the occurrence of any vacancy in the office of the Principal or if the Principal is unable to discharge his functions owing to his absence, illness or any other cause, it shall be open to the Board to authorize any person to exercise such powers, functions and duties of the Principal as the Board may deem fit.
- BUDGED 25 (i) The Society shall from time to time prepare the budget estimates ACCOUNTS of the Institute in such form and manner and shall submit the same AUDIT AND to the Central and Government of Goa, Daman & Diu for approval REPORT by such dates, as the State Government, in consultation with the Central Government may direct.
- (ii) The Society shall submit to the Central and Government of Goa, Daman & Diu, a report on the working of the Institutes and an audited statement of accounts showing the income and expenditure of the Institute for each financial year within five months after the closing of the year.

- (v) कोई कारबार, जो कार्यकारिणी द्वारा निष्पादित किया जाना आवश्यक हो, उसे छोड़कर जिसे इसकी बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, भारत में इसके सभी सदस्यों में परिचालन द्वारा निष्पादित किया जाएगा और हस्ताक्षर करने वाले अधिकांश सदस्यों के बीच इस प्रकार परिचालित और उनके द्वारा अनुमोदित कोई संकल्प उसी प्रकार प्रभावी और बाध्यकारी होगा मानो यह संकल्प विधिवत बुलाई गई और आयोजित की गई समिति की बैठक में पारित किया गया हो, बशर्ते कि समिति के कम से कम तीन सदस्यों ने संकल्प पर अपनी राय रिकॉर्ड की हो।

प्रधानाचार्य

24. (i) संस्था के प्रधान की नियुक्ति बोर्ड द्वारा उस शैक्षिक अर्हता और अनुभव और भर्ती की पद्धति के अनुसार और सेवा के उन निबंधनों और शर्तों के अधीन की जाएगी जिसे बोर्ड निर्धारित करें।
- (ii) संस्था का प्रधान शैक्षिक और कार्यकारी अधिकारी प्रधान होगा और वह संस्थान के उचित प्रशासन के लिए और अनुदेश देने और अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा। संस्था के अन्य सभी कार्यकारी प्रधान के अधीनस्थ होंगे।
- (iii) प्रधान संस्था की निधियों के रिकॉर्ड तथा संस्था की ऐसी अन्य संपत्ति, जिसे बोर्ड उसके भारसाधन में सुपुर्द कर, का अभिरक्षक होगा।
- (iv) प्रधान सोसाइटी, बोर्ड, कार्यकारिणी और सोसाइटी या बोर्ड की किसी अन्य समिति का सचिव नहीं होगा।
- (v) प्रधान के पास ऐसी अन्य शक्तियाँ होगी जो बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाए तथा वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो बोर्ड द्वारा उसे सौंपे जाएँ।
- (vi) प्रधान को बोर्ड के अनुमोदन से अपने किसी अधीनस्थ को अपनी शक्ति पुनः प्रत्यायोजित करने की शक्ति प्राप्त होगी।
- (vii) प्रधान के कार्यालय में किसी रिक्ति के होने अथवा प्रधान की अनुपस्थिति, बीमारी अथवा किसी अन्य कारण से उसके अपने कार्यों के निर्वहन में असमर्थ होने की स्थिति में बोर्ड को किसी ऐसे व्यक्ति को उन शक्तियों, कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करने का अधिकार प्राप्त होगा जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे।

बजट लेखा लेखा 25
परीक्षा और रिपोर्ट

- (i) सोसाइटी उस प्ररूप में और उस रीति से संस्था का समयबद्ध बजट प्राक्कलन तैयार करेगी और उसे उस तारीख तक, जिसे राज्य सरकार केंद्र सरकार से परामर्श से निदेश करे, अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार, गोवा, दमन और दीव सरकार को प्रस्तुत करेगी।
- (ii) सोसाइटी केंद्र सरकार, गोवा, दमन और दीव सरकार को संस्था की कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट और वर्ष की समाप्ती के पश्चात पाँच महीने के अंदर प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए संस्था की आय और व्यय को दर्शाने वाले लेखा परीक्षित लेखा विवरण प्रस्तुत करेगी।

- (iii) The Central and/or the Government of Goa, Daman & Diu, may after scrutiny of the budget estimates, the statement of account and the report referred to in sub-rules (i) and (ii) of this rules, refer them back to the Society with comments, and the Society shall comply with such comments or otherwise explain the matter to the satisfaction of the Central and/or the Government of Goa, Daman & Diu, as the case may be.
- (iv) The Society shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of account including the balance sheet in such form as may be prescribed by the Central or State Government of Goa, Daman & Diu.
- (v) The Society shall have the accounts of the Society audited in such manner as the Central or Government of Goa, Daman & Diu, direct and to forward annually to the Central and Government of Goa, Daman & Diu, the accounts duly certified by the auditors together with the audit report thereon.
- (vi) The Society may constitute such committee or sub-committees as it may deem fit.
- (vii) The Society may delegate all or any of its powers to the Board of Governors of the Institute or to the Executive Committee or to any of the Committee or subcommittee constituted by the Society or the Board or to any one or more members of its bodies or its officers.

26. For the purpose of Section 6 of the Societies Registration Act 1860 (XXI of 1860) the Secretary shall be considered the Principal/Secretary and the Society may sue or be sued in the name of the Secretary of the Society.

27. All contracted deeds and other instruments for and on behalf of the Society if the value of the contract deed or instrument is Rs. 10,000=00 or less, and the Principal of the Institute and the Convener of the Executive Committee, if the value thereof exceeds Rs. 10,000=00. The Board may also authorize any person to enter into contracts on behalf of the Society subject to such restrictions and condition as the Board may impose.

28. The Society may be dissolved in accordance with the provisions of Sections 13 and 14 of the Societies Registration Act (21 of 1860) after obtaining the previous consent of the Central Government , the Government of Goa, Daman & Diu, in that behalf.

Alteration

29. (i) Subject to the prior approval of the Central and the Government of Goa, Daman & Diu, the Society may alter, extend or bridge any purpose or purposes for which it is established, in the manner laid down in the Societies Registration Act (XXI of 1860)

- (iii) केंद्र और/अथवा गोवा, दमन और दीव सरकार बजट प्राक्कलन, लेखा विवरण इस इनयम के उपनियम (i) और (ii) में उल्लेखित रिपोर्ट की संविधा के पश्चात टिप्पणियाँ के साथ सोसाइटी को वापिस लौटाएगी और सोसाइटी इन टिप्पणियों का अनुपालन करेगी अथवा अन्य बताई गई टिप्पणियों का यथा स्थिति केंद्र सरकार और/अथवा गोवा, दमन और दीव सरकार के समाधान के अनुसार अनुपालन करेगी।
- (iv) सोसाइटी उचित लेखा और अन्य संगत रेकॉर्ड का रख-रखाव करेगी तथा केंद्र सरकार अथवा गोवा, दमन और दीव राज्य सरकार द्वारा यथा विहित प्ररूप में वार्षिक लेखा विवरण और तुलन पत्र तैयार करेगी।
- (v) सोसाइटी उस रीति से, जो केंद्र अथवा गोवा, दमन और दीव सरकार निदेश करे, सोसाइटी के लेखा परीक्षित लेखे रखेगी और लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखे तथा उनसे संबन्धित लेखा परीक्षित रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष केंद्र सरकार और गोवा, दमन और दीव सरकार को प्रस्तुत करेगी।
- (vi) सोसाइटी ऐसी समिति या उप समितियों का गठन कर सकती है जिन्हें वह उपयुक्त समझे।
- (vii) सोसाइटी संस्था के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को या कार्यकारिणी समिति को या सोसाइटी अथवा बोर्ड द्वारा गठित किसी समिति या उप समिति को या इनके निकायों के किसी एक अथवा अधिक सदस्यों को अथवा इसके अधिकारियों को अपनी सभी या कोई एक शक्ति प्रत्यायोजित कर सकती है।

सोसाइटी द्वारा सचिव के नाम का प्रयोग करना

- 26. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का xxi) की धारा 6 के प्रयोजन से सचिव को प्रधान/सचिव समझा जाएगा और सोसाइटी, सोसाइटी के सचिव के नाम से मुकदमा कर सकती है अथवा सोसाइटी के सचिव के नाम का प्रयोग कर सकती है।
- 27. सभी संविदाएं, विलेख और अन्य लिखित यदि संविदा, विलेख अथवा लिखित का मूल्य रु. 10000=00 या उससे कम हो, सोसाइटी के लिए और सोसाइटी की ओर से किए जाते हैं अथवा यदि उसका मूल्य रु. 10000=00 से अधिक है तो संस्था के प्रधान और कार्यकारिणी के संयोजक संविदा, विलेख या लिखित कर सकती हैं। बोर्ड किसी व्यक्ति को उन निर्बंधनों और शर्तों, जिन्हें बोर्ड अधिरोपित करे, के अधीन सोसाइटी की ओर से संविदा करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।
- 28. सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (1860 का 21) की धारा 13 और 14 के उपबंधों के अनुसार केंद्र सरकार, गोवा, दमन और दीव सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने के पश्चात समाप्त की जा सकती है,

परिवर्तन

- 29. (i) सोसाइटी केंद्र सरकार और गोवा, दमन और दीव के पूर्व अनुमोदन के अधीन सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (1860 का xxi) में निर्धारित रीति से किसी प्रयोजन या प्रयोजनों, जिनके लिए कह स्थापित है, में परिवर्तन कर सकती है, उन्हें विस्तृत या संक्षिप्त कर सकती है।

30. The Rules may be altered with the consent of the Central and the Government of Goa, Daman & Diu, by a resolution passed by a majority of two thirds of the members present at any meeting of the Society which shall have been duly convened for the purpose.

Issued certified Xerox copy of this document on 18.11.11

Sd/-

30. नियमों में केंद्र सरकार और गोवा, दमन और दीव सरकार की सहमति से इस प्रयोजन के लिए विधिवत आयोजित किया जाए, सोसाइटी की किसी बैठक जिसमें उपस्थित सदस्यों में से दो तिहाई के बहुमत से पारित संकल्प से परिवर्तन किया जा सकता है।

18.11.2011 को इस दस्तावेज़ की जारी प्रमाणित जीरोक्स प्रति

ह०/-

It is Certified that this is a true Xerox copy of the original of RULES AND REGULATIONS of Society "INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT, CATERING TECHNOLOGY & APPLIED NUTRITION (GOA) SOCIETY" under Registration No. 175/Goa/1967.

This certified copy is issued at the request of Roque D 'Cruz, made in this application dated 14/11/2011 where it is stated that the same is required for official record and has 9 sheets serially numbered from 1 to 9.

Fees of Rs. 35/- (Rupees thirty five only) credited to the State Bank of India, Panaji, by this office under Challan No. 1092/11-12 dated 16/11/2011.

Office of the District Registrar, North, Panaji, dated 16th November, 2011.

Sd/-

(V. T. HADKONKAR)

INSPECTOR GENERAL OF SOCIETIES/

D.R. NORTH GOA.

Compared By :-

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रतिलिपि पंजीकरण संख्या 175/गोवा/1967 के तहत "होटल प्रबंध, खान-पान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषण विज्ञान (गोवा) सोसाइटी संस्थान" सोसाइटी के मूल नियमों और विनियम की सही जीरोक्स कॉपी है।

यह प्रमाणित प्रतिलिपी रॉक ए डि'कूज द्वारा उनके दिनांक 14/11/2011 के आवेदन में किए गए अनुरोध पर जारी कि गई है जिसमें यह कहा गया है कि सरकारी रिकॉर्ड के लिए इस प्रतिलिपि की आवश्यकता है और इसमें 1-9 तक क्रमांकित 9 पन्ने हैं।

इस कार्यालय ने भारतीय स्टेट बैंक, पणजी में चालान नं 1092/11-12 दिनांक 16/11/2011 के तहत 35/- (केवल पैंतीस रूपए) का शुल्क जमा किया है।

जिला रजिस्ट्रार का कार्यालय, उत्तर, पणजी, दिनांक 16 नवम्बर, 2011

हस्ता/-

(बी. टी. हडकोणकर)

सोसाइटी महानिरीक्षक/

डी.आर.उत्तरी गोवा।

मिलानकर्ता:-